

180

17 SEP 2022
1 SEP 2022

**राजस्थान सरकार
वन विभाग**

प.एफ.नं. 4(12)वन/2017

जयपुर, दिनांक—

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 36क की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात बारां जिले की शाहबाद तहसील स्थित रक्षित वन खण्ड कुण्डा कोटड़ा ए, कुण्डा कोटड़ा बी, भैसाघाट ए, भैसाघाट बी, नाउ देह बसाई, जागीर फरेदवा, मण्डी सांभर सीगा और कस्बाथाना ए की रक्षित वन भूमि, जिसका विवरण नीचे दी गई **अनुसूची-I** एवं सीमाओं का विवरण **अनुसूची-II** के अनुसार है, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पति भू-संरचना सम्बन्धित, नैसर्गिक एवं प्राणीशास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए संरक्षण आरक्षिति घोषित करती है, जिसे भविष्य में **शाहबाद तलहटी संरक्षण आरक्षिति** के नाम से जाना जावेगा, जो उक्त अधिनियम एवं तदधीन बनाए गए नियमों या समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा ।

अनुसूची-I

क्र. स	वन खण्ड का नाम	भूमि का विवरण			रक्षित
		अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	क्षेत्रफल (हे.)	
1	2	3	4	5	6
1	कुण्डा कोटड़ा ए	एफ17(407)राक 62	28/12/1962	1190.57	1190.57
2	कुण्डा कोटड़ा बी	एफ17(407)राक 62	28/12/1962	3084.58	3084.58
3	भैसाघाट ए	एफ17(407)राक 62	28/12/1962	2253.01	2253.01
4	भैसाघाट बी	एफ17(407)राक 62	28/12/1962	99.45	99.45
5	नाउ देह बसाई	एफ17(407)राक 62	28/12/1962	4584.37	4584.37
6	जागीर फरेदवा	एफ17(154)राक 62	16/05/1962	2990.15	2990.15
7	मण्डी सांभर सीगा	एफ7 (154)राक 62	15/05/1962	2296.35	2296.35
8	कस्बाथाना ए	एफ17(407)राक 62	28/12/1962	1385.73	1385.73
	योग			17884.21	17884.21

अनुसूची-११

उत्तरी सीमा : वनखण्ड कुण्डा कोटड़ा ए के कम्पार्टमेंट नं. 9 व 10 की उत्तरी सीमा से चलकर वनखण्ड कुण्डा कोटड़ा बी के कम्पार्टमेंट नं. 16, 18, 19 व 1 की उत्तरी सीमा पर समाप्त होगी।

पूर्वी सीमा : वनखण्ड कुण्डा कोटड़ा बी के कम्पार्टमेंट नं. 22, 2 व 3 की पूर्वी बाउंड्री पर चलकर वनखण्ड नाउ देह बसाई के कम्पार्टमेंट नं. 19, 21, 22, 23, 24, 25, व 26 की पूर्वी बाउंड्री मध्य प्रदेश सीमा के सहारे वनखण्ड मण्डी सांभर सीगा के कम्पार्टमेंट नं. 1, 2 व 3 की पूर्वी बाउंड्री मध्य प्रदेश सीमा के सहारे वनखण्ड कस्बाथाना ए कम्पार्टमेंट नं. 1, व 6 की पूर्वी ग्राम कस्बाथाना तक संरक्षण आरक्षिति की पूर्वी सीमा होगी।

दक्षिणी सीमा : वनखण्ड कस्बाथाना बी कम्पार्टमेंट नं. 6, व 7 की दक्षिणी सीमा से राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के सहारे सहारे चलकर वनखण्ड जागीर फरेदवा के कम्पार्टमेंट नं. 5 व 6 की दक्षिणी सीमा व कम्पार्टमेंट नं. 7, 8, 9 व 10 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे चलकर वनखण्ड नाउ देह बसाई के कम्पार्टमेंट नं. 12 की दक्षिणी सीमा व वनखण्ड भैसाघाट ए के कम्पार्टमेंट नं. 4 व 6 ही संरक्षण आरक्षिति की दक्षिणी सीमा होगी।

पश्चिमी सीमा : वनखण्ड भैसाघाट ए के कम्पार्टमेंट नं. 6, 7, 9, 10 व 11 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे उत्तरी दिशा में आगे बढ़कर वनखण्ड कुण्डा कोटड़ा ए के कम्पार्टमेंट नं. 12, 14 व 11 की पश्चिमी सीमा ही संरक्षण आरक्षिति की पश्चिमी सीमा होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

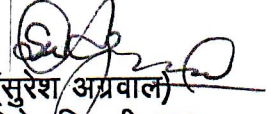
 31/8/22

(विकटेश शर्मा)

शासन सचिव

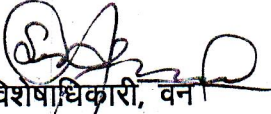
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : -

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त वरिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान विधानसभा जयपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान जयपुर।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान, जयपुर।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना को REAMS के माध्यम से ई-गजट में प्रकाशित करवाने का कष्ट करावें।
11. संभागीय आयुक्त, कोटा।
12. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
13. जिला कलक्टर, बांरा।
14. उप वन संरक्षक, बांरा।
15. संसदीय कार्य विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।


(सुरेश अग्रवाल)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली।
2. महानिरीक्षक, वन्यजीव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली।
3. निदेशक भारतीय वन्य जीव संस्थान, पोस्ट बॉक्स नं. 18 चन्द्रबनी, देहरादून


विशेषाधिकारी, वन

राजस्थान सरकार
वन विभाग

प.एफ.नं. 4(12)वन/2017

जयपुर, दिनांक—

SEP 2022

103

अधिसूचना

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 36ख की उप-धारा (1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये शाहबाद तलहटी संरक्षण आरक्षित के संरक्षण, प्रबन्धन एवं उसके रख-रखाव के लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को परामर्श देने के लिए निम्न सदस्यों की एक संरक्षण आरक्षित प्रबन्ध समिति का गठन किया जाता है:-

1. सरपंच ग्राम पंचायत, देवरी,
2. सरपंच ग्राम पंचायत, बीलखेडा-डांग,
3. सरपंच ग्राम पंचायत, बीलखेडा-माल,
4. सरपंच ग्राम पंचायत, सनवाडा,
5. सरपंच ग्राम पंचायत, कस्बाथाना,
6. सरपंच ग्राम पंचायत, भोयल,
7. वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, देवरी,
8. वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, गोयरा,
9. वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, चौराखाडी,
10. वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, धुवा,
11. वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, कस्बाथाना,
12. वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, मंडी-सांभरसिंघा,
13. प्रबन्धक सीकोईडीकोन, शाहबाद,
14. पशु चिकित्सा अधिकारी, शाहबाद,
15. कृषि अधिकारी, शाहबाद, तथा
16. क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन विभाग, शाहबाद-सदस्य सचिव।

सदस्य सचिव द्वारा उक्त समिति के लिये आयोजित बैठक में सम्बन्धित उप वन संरक्षक एवं सहायक वन संरक्षक को आमंत्रित किया जावेगा।

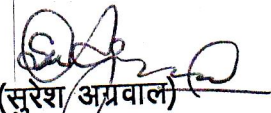
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 36 ख की उप-धारा (3) के अनुसार उक्त समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया, जिसमें गणपूर्ति भी हो, को विनियमित करेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से


(वैकटेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : -

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त वरिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान विधानसभा जयपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान जयपुर।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान, जयपुर।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना को REAMS के माध्यम से ई-गजट में प्रकाशित करवाने का कष्ट करावें।
11. संभागीय आयुक्त, कोटा।
12. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
13. जिला कलक्टर, बांरा।
14. उप वन संरक्षक, बांरा।
15. संसदीय कार्य विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।


(सुरेश अग्रवाल)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली।
2. महानिरीक्षक, वन्यजीव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली।
3. निदेशक भारतीय वन्य जीव संस्थान, पोस्ट बॉक्स नं. 18 चन्द्रबनी, देहरादून


विशेषाधिकारी, वन